

PROF. C. LAKSHMANNA; I have my name.... (*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: x have no name here.. '.. (*Interruptions*) I do not have any name, with me.

SHRj P. SMV SHANKER; As I have yesterday itself explained, there are cases where some persons were appointed Chief Justices for one or two days, I explained that. I also told you that in Delhi I had to agree for appointment of a particular Chief Justice for five days because somebody else was appointed for a day.

I would like to tell you about the appointment of the Chief Justice of the Allahabad High Court that the matter is under consideration in consultation with the Chief Justice of India. I would like to further tell you that after the consultations we would take some decisions. The matter is stili under consultations.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA: Will you *get it expedited*?

SHRI P. SHIV SHANKER; I will do my best.

श्री राम अवधेश सिंह : क्या आप भी ऐसी कम्युनिटी बनाने की बात सोच रहे हैं ? ... (व्यवधान) ..

THE HOSPITALS AND OTHER INSTITUTIONS (SETLEMENT OF DISPUTES) BILL, 1982

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA); Madam, I beg to move for leave to withdraw the Hos-

pitals and Other Institutions (Settlement of Disputes) Bill, 1982.

*The question was put, and the motion was adopted.*

SHRI P. A. SANGMA: Madam, I withdraw the Bill.

SHRi RAM AWADHESH SINGH: (Bihar).

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not going on record.

श्री राम अवधेश सिंह : उप-सभापति महोदय, मैं हमेशा आपकी आज्ञा मानता हूँ।

उपसभापति : आपको अच्छे ढंग से बोल रहे हैं तो आप समझने को तैयार नहीं हैं। कितनी बार आपको बोलने का मौका दिया है ? फिर भी आप बोले जा रहे हैं।

THE HOSPITALS AND OTHER INSTITUTIONS (REDRESSAL OF GRIEVANCES OF EMPLOYEES) BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA); Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the redressal of grievances of employees in hospitals and certain other institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Question was proposed.

Not recorded.

अन्य संस्थाओं के विधेयक, 1982 के लौटाए जाने और उसके पुनर्स्थापन के बीच में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने लिखित में दिया था। यह बिल 1982 के अन्त में लाया गया था। महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जल्दीबाजी में बार-बार बिल लाए जाते हैं और जब 6 वर्ष के बाद पता लगता है कि बिल में कमी है तो फिर लौटाते हैं। फिर प्रस्तावित करते हैं।

उप-सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अस्पताल के जो कर्मचारी और डाक्टर हैं, उनके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, यह सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं डाक्टरों की बात बताना चाहता हूँ। रेजिडेंट डाक्टरों ने जब हड़ताल की तो उनका वेतनमान 700 रुपए से 2200 रुपए हो गया और रजिस्ट्रारों का 650 से 3000 रुपए हो गया। लेकिन जिसके अधीन ये लोग थे उन डाक्टरों का 2200 रुपए रह गया। सी.जी.एच.एस. डाक्टरों ने जब हड़ताल की और एक एग्जिमेंट हुआ तो दिल्ली कार्पोरेशन ने कांग्रेस के काउंसलर और बी.जे.पी. के काउंसलर ने मिलकर एक समिति बनाकर सिफारिश की कि उसी तरह का वेतन दिया जाय। वह आज तक नहीं हुआ। कमिशनर बीच में बैठा हुआ है।

उसी तरह से अस्पताल के जो कर्मचारी राउंड द टेबिल बर्क करते हैं, उन्हें 15-20 मील दूर आना पड़ता है। ऐसी अवस्था में वह कैसे काम कर सकता है? दूसरे जो कर्मचारी टी.बी. से पीड़ित लोगों के साथ काम करते हैं, रेडियोलोजी या एक्सरे में काम करते हैं, जहाँकि हमेशा उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा रहता है। वहाँ रिस्क एलाउंस नहीं है। उप-सभापति महोदया, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को जो सफाई के लिए साबुन मिलता है या जो नमूने वहाँ पर काम करने वाली हैं उनको साड़ी घोंती मिलती है, जूते मिलते हैं, लेकिन इस के लिए पैसे इतना कम मिलता है कि उसमें साड़ी या जूते की सफाई नहीं हो सकती है। तो महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि डाक्टरों की या

वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी जो प्रीवेंसंस हैं, वह किस तरह से दूर होंगी?

उप-सभापति महोदया, श्रम मंत्री महोदया इसीलिए बिल लाते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर विचार हो, लेकिन यह जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए और फिर न इसे प्रवर समिति को सौंपते हैं, न संयुक्त प्रवर समिति को सौंपते हैं।

उप-सभापति महोदया, मैं एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना हूँ, सरकार ने कहा है कि 33 वर्ष की तौकरी के बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी। अब डाक्टर या जो विशेष क्वालिफाइड वैज्ञानिक लोग हैं उन्हें सर्विस में 30-32 वर्ष के होने पर आते हैं। तो 30 या 33 वर्ष की सर्विस का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता है। डाक्टरों को या तो यह लाभ विलवाइये या विशिष्ट लोगों की तरह उसकी सर्विस भी 60 वर्ष तक कर दी जाय। इस पर विचार करने का उन्होंने कष्ट नहीं किया। इसलिये मैं चाहूँगा कि श्रम मंत्री जो इस पर विचार करें, सुश्री-मोटो विचार करें कि वहाँ कर्मचारियों को आवास की सुविधा हो, उन को रिस्क एलाउंस मिले। डाक्टरों को ओवरटाइम नहीं मिलता, लेकिन वे राउंड दि क्लॉक काम करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि अस्पताल के कर्मचारियों और डाक्टरों को किस प्रकार की सुविधायें दी जायें ताकि वे अच्छा काम कर सकें। दिल्ली में उनको घोंडा सा नान-प्रेक्टिसिंग एलाउंस दे दिया है लेकिन बिहार जैसी जगहों में उनको हजारों रुपये रोज की आमदनी है। तो इस बिल को विद्वद्धा करके आप अस्पताल के कर्मचारियों और डाक्टरों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता। बाधियों की जो समस्याएँ पड़ी हुई हैं उनका भी निदान आप नहीं करते हैं। मैं एक छंटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। फार्मासिस्ट्स ने हमारे जमाने में एक बड़ी हड़ताल की थी। हमने उसका समाधान कर दिया था। लेकिन हड़ताल के बीच के समय का जो पंसा है उनका बकाया, वह अभी तक भगतान नहीं हो पाया है। तो श्रम मंत्री जी, जो श्रमिकों के बारे में सदा ही चिंतित रहते हैं वे उनका भी ध्यान रखें। कहीं ऐसा न हो

[श्री जगदम्बा प्रसद यादव]

कि इस बिल को जो वे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसका भी वहीं फेद न हो जो कि 1982 वाले बिल का हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मल्लवीय (उत्तरप्रदेश): महोदय, मैं एक ही जानकारी चाहता हूँ और जगदम्बा बाबू ने भी उसको समझाने की कोशिश की है कि 1982 का जो विधेयक प्रस्तुत हुआ था उसकी आज 6 साल के बाद वापस लिया जा रहा है और एक दूसरा विधेयक लाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि क्या नई जो स्पष्ट करेंगे कि क्या कारण है कि जब यह 1982 का विधेयक प्रस्तुत किया गया था और आज उसका क्यों वापस लिया जा रहा है? और क्या उस 82 विधेयक पर यहाँ चर्चा होगी?

West Bengal); To me it is a hearty coincidence. Only yesterday there was a massive rally in Delhi. From all parts of the country people came and they demanded certain things. They also believe that those things cannot be met by the Government. Therefore, they wanted that the present Government may go.

When this Bill was being introduced in the year 1982 I very clearly remember that along with this Bill there were certain other enactments also and the entire Opposition—not only the Left—fought tooth and nail against the introduction of some other Bills also like ESMA and NSA.

Just a few minutes back we have been told about the checks and balances provided in our constitution. We know such checks and balances do exist. We know that it is the victory

of the people that this most reactionary Bill is being withdrawn in the House. We also know that as a part of the check and balance, the postal Bill is still awaiting the assent of the President. But my question is not only addressed to the Labour Minister, but also to the Government as a whole. Are they prepared to withdraw or repeal the reactionary Bills like ESMA and NSA or do they want to wait till the Government is overthrown by the people whose sovereignty was recognised only a few minutes back in the House?

SHRI NIRMAL CHATTERJEE  
(

श्री राम बलदेव सिंह (बिहार): महोदय, यह बिल पिन डेन से लाया गया और फिर वापस लिया जा रहा है उससे पता चलता है कि यह सरकार कैसे सोचती है और किसके खिलाफ डेन से, समस्याओं की महारत में न जाकर, अध्ययन किए बिना, नानादे डेन से, नालाशिक मन की भावनाओं के आवेग से चर्चा उठा देती है...

उपसभापति: क्या श्री बीच बीच में इसी प्रकार उठ जाते हैं।

श्री राम बलदेव सिंह: मैं तो उठ जाऊंगा हम तो बाच-डाय हैं। यह तो हमारा काम है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको वापस ले रही है तो जो दूसरा बिल लाएगी उसका भी हम ऐसा न हो कि आधा उसको एक सेशन में पास कर लें, कुछ दूसरे सेशन में पा कर लें और फिर वापस ले लें तमाम बहस होने के बाद। जो कुछ भी करना है सरकार को सोच समझकर करना चाहिए। विरोधी पक्ष के सुझावों को सरकार गंभीरता से ले और इस बिल को वापस लेकर उसमें अपेक्षित सुधार करे। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is;

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the redressal of grievances of employees in hospitals and certain other institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

SHRI P. A. SANGMA: Madam, I introduce the Bill.

#### THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): Madam, I move;

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1987-88, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill arises out of the Supplementary Appropriation 'Charged' on the Consolidated Fund of India and Demands voted by the Lok Sabha on December 7, 1987. These involve gross additional expenditure of Rs. 1780. 49 crores.

The additional requirement of Rs. 1780. 49 crores comprises Rs. 989. 86 crores for transfers to State Governments, Rs. 24. 03 crores for transfers to Union Territory Governments and Administrations, Kr. 319. 77 crores for releases to Public Sector Enterprises, Rs. 434. 15 crores for subsidies, Rs. 12. 68 crores for other expenditure. The details of the supplementary demands are available in the documents laid on the Table of the house on 30th November, 1987.

The concerned Ministries/Departments have identified matching savings/increased receipts to the extent of Rs. 399. 84 crores. Thus the net

additional expenditure is Rs. 1380. 65 crores out of which Rs. 815. 31 crores is related to drought and flood relief to be financed from the resources raised by economy and additional resources measures recently undertaken by the Government. The balance of Rs. 565. 34 crores mainly comprises Rs. 300 crores for indigenous fertilisers subsidy, Rs. 181. 64 crores for assistance to Punjab, Rs. 50 crores for subsidy to new industrial units set up in selected backward areas and Rs. 16. 50 crore for investment in Hindustan Fertiliser Corporation.

*The question was proposed.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall discuss it after lunch. Now the House stands adjourned for lunch and will meet again at 2. 30 P. M.

The House then adjourned for lunch at twenty nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock. The Vice-chairman, Shri H. Hamimanthappa, in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We will continue discussion on the Appropriation (No. 5) Bill, 1987. Shri Sunil Basu Ray.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, sir, only two months back, we have passed the first Appropriation Bill and we are again called upon to pass this second Appropriation Bill. Now, the net amount that is involved in these two Bills is Rs. 1777 crores and some odd lakhs. But why this necessity of supplementary Budget: why this necessity of exercise in net and gross demands? It is because the figures have been worked out as gross demand minus the savings that has been contemplated to a net and minus savings for lunch at twenty-nine savings are a reflection on the original Budget itself because if the savings are made, then we are to take it that